

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2011—फाल्गुन 24, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2011

क्र. 7540-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 15 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय सांवेर रोड, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का इस अधिनियम के अधीन गठित नियामक आयोग द्वारा मूल्यांकन किए जाने का उपबंध करती है. उक्त उपबंध के अधीन नियामक आयोग ने इन्दौर में ओरिएण्टल विश्वविद्यालय एवं भोपाल में पीपुल्स विश्वविद्यालय के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिये हैं. उक्त अधिनियम की धारा ९ उपबंध करती है कि नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ८ मार्च, २०११.

लक्ष्मीकांत शर्मा

भारसाधक सदस्य.